<u>प्रेस – नोट थाना खजनी दिनांक 31-10-2020</u>

चोरी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन में उ0नि0 नवनीत नागर मय हमराह हे0का0 राजकुमार भारती व का0 आशीष कुमार के विनावर तलाश वाछित अभियुक्त व वारन्टी में मामूर थे कि जरिए मुखविर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 716/2020 धारा 380,411 भादवि मे नामित अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ सोनू मौया पुत्र स्व0 कान्ता शरण मौर्या नि0ग्राम नगवां थाना गीडा जनपद गोरखपुर कटघर तिराहे से कही बाहर भागने की फिराक में खड़ा है, जल्दबाजी करने पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हो सकती है, मुखविर खास की इस सूचना पर विश्वास करते हुए मै उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण के मय मुखविर के कटघर तिराहे पर पहुचा मुखविर ने कुछ दूर से ही इशारा कर हट बढ गया, मौके पर पहुच कर खडे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बृजेश कुमार उर्फ सोनू मौया पुत्र स्व0 कान्ता शरण मौर्या नि0ग्राम नगवां थाना गीडा जनपद गोरखपुर बताया कि कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया, घटना के सम्बन्ध मे पुछ ताछ करने पर अभियुक्तगण जुर्म स्वीकर करते हुए घटना के बारे मे बताया कि साहब दिनांक 24.10.2020 को मै बामती माता मंदिर के पास गांजा पी रहा था तभी दो व्यक्ति जिनको मै जानता पहचानता नही हुँ आये और मेरे साथ गांजा पीने लगे। बाद मे हम तीनो लोग थोड़ी दूर पर स्थित विद्यासागर के घर चोरी करने चले गये जिसमे मैने वहां से ये पायल चुराई थी जिसके सम्बन्ध में वादी विद्यासागर शर्मा पुत्र स्व0 जग्रनाथ निवासी ककना थाना खजनी जनपद गोरखपुर की लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय पर मु0अ0सं0 716/2020 धारा 380,411 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमे अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार किया गया अभियुक्त</u>-

बृजेश कुमार उर्फ सोनू मौया पुत्र स्व0 कान्ता शरण मौर्या नि0ग्राम नगवां थाना गीडा जनपद गोरखपुर

<u>बरामदगी</u>

एक जोड़ा पायल सफेद धातु

<u>गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-</u>

1.उ0नि0 नवनीत नागर

2. हे0का0 राजकुमार भारती

3. कां0 आशीष कुमार